रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-08112021-230921
CG-DL-W-08112021-230921

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 36] नई दिल्ली, अक्तूबर 24 - अक्तूबर 30, 2021, शनिवार/ कार्तिक 2- कार्तिक 8, 1943
No. 36] NEW DELHI, OCTOBER 24 - OCTOBER 30, 2021, SATURDAY/ KARTIKA 2 - KARTIKA 8, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 125.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (केंद्रीय न्याय-वैधक विज्ञान प्रयोगशाला वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम 1974 को, जहाँ तक उनका संबंध कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय और इनकी दूरस्थ इकाइयों में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. —**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, समूह ख राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगें ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.** — पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध **अनुसूची** में स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.** —उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त **अनुसूची** के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता. — वह व्यक्ति -**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या ,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.** — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति.** —इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी ,जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	36 (2021)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । टिप्पणी: प्राक्षेपिकी-6; जीव विज्ञान-8; रसायन विज्ञान-4; विस्फोटक-5; न्यूट्रॉन सक्रियण विश्लेषण -2; भौतिकी 6; विष विज्ञान -5	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 7 (44900-142400 रु)	चयन पद	30 वर्ष से अनाधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतशितता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: शैक्षिक अर्हता:- (1) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (**प्राक्षेपिकी**): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या गणित या व्यावहारिक (एप्लाइड) गणित या न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें बीएससी स्तर पर तीनो वर्षों में भौतिकी या गणित एक विषय के रूप में रहा हो। (2) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (**जीव विज्ञान**): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जन्तु विज्ञान या सूक्ष्म विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या जैव रसायन विज्ञान या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या जेनेटिक्स या न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें बीएससी स्तर पर तीनो वर्षों में वनस्पति विज्ञान या जन्तु विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो; या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जैव प्रौद्योगिकी में बी.ई (B.E) या बी टैक (B.Tech) की हो। (3) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (**रसायन विज्ञान**):- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या परीक्षा द्वारा रसायनज्ञ के संस्था का उपसदस्यता डिप्लोमा* या जैव रसायन विज्ञान या न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें बीएससी स्तर पर तीनो वर्षों में रसायन विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो। (4) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (**विस्फोटक**): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या परीक्षा द्वारा रसायनज्ञ के संस्था का उपसदस्यता डिप्लोमा* या न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें बीएससी स्तर पर तीनो वर्षों में रसायन विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो। (5) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (**न्यूट्रॉन सक्रियण विश्लेषण**): किसी मान्यता प्राप्त	लागू नही होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(i) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; (ii) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या परीक्षा द्वारा रसायनज्ञ के संस्था का उपसदस्यता डिप्लोमा* या भौतिकी या न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें बीएससी स्तर पर तीनो वर्षों में रसायन विज्ञान या भौतिकी एक विषय के रूप में रहा हो । (6) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (**भौतिकी**): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या अनुप्रयुक्त भौतिकी या कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स या न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें बीएससी स्तर पर तीनो वर्षों में भौतिकी एक विषय के रूप में रहा हो; या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बी.टेक (सिविल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या दूरसंचार या कंप्यूटर साइंस या इंस्ट्रूमेंटेशन) या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (EEE) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से की हो। (7) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (**विष विज्ञान**): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या परीक्षा द्वारा रसायनज्ञ के संस्था का उपसदस्यता डिप्लोमा* या जैव रसायन विज्ञान या औषधालय या न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें बीएससी स्तर पर तीनो वर्षों में रसायन विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो । **अनुभव:** किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के संगठनो या मान्यता प्राप्त संस्थानो या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में सुसंगत क्षेत्रो में विश्लेषणात्मक कार्य और अनुसंधान में तीन वर्ष का अनुभव । **टिप्पण (i):** *परीक्षा द्वारा प्राप्त रसायनज्ञ के संस्था का उपसदस्यता डिप्लोमा केवल भर्ती नियम (संशोधन) की अधिसूचना की तारीख पर उपलब्ध विभागीय वैज्ञानिकों के लिए लागू होगा। **टिप्पण (ii)**: शैक्षिक अहर्ताए में सुसंगत विषय और वह क्षेत्र जिसमें अनुसंधानिक अनुभव की आवश्यकता है, भर्ती के समय आवश्यकता के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाएगा।			

वांछनीय अनुभव: न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य करने का अनुभव ।			
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।
(11)	(12)		(13)
प्रोन्नति : वेतन मेट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400/- रु) में ऐसे ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (प्राक्षेपिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, विस्फोटक, न्यूट्रॉन सक्रियण विश्लेषण, भौतिकी, विष विज्ञान) जिन्होने न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय के अधीन केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और किसी मान्यता प्राप्त न्यायालयिक संस्था या संगठन में दो से चार सप्ताह का परीक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होनें ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1.) निदेशक, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय -अध्यक्ष; (2.) उप सचिव- गृह मंत्रालय -सदस्य; (3.) उप निदेशक, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय -सदस्य समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1.) निदेशक, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय -अध्यक्ष; (2.) उप सचिव- गृह मंत्रालय -सदस्य; (3.) उप निदेशक, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय -सदस्य ।		सीधी भर्ती द्वारा पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है ।

[फा.सं. डीएफएसएस/38(4)/2014]

नरेंद्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE SERVICES)

New Delhi, the 25th October, 2021

G.S.R. 125.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Bureau of Police Research and Development (Central Forensic Science Laboratories Class I and Class II Posts) Recruitment Rules 1974 in so far as they relate to the post to which these rules are applicable, the President hereby makes the following Rules to amend the methods of recruitment to the post of Junior Scientific Officer, in the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services and its outlying Units, namely:-

1. **Short title and commencement.-**

(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services, Junior Scientific Officer, Group 'B' Gazetted Posts, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—No person, -**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Junior Scientific Officer	36 (2021) *(Subject to variation dependent on workload) Remark : Ballistics-6; Biology-8; Chemistry- 4; Explosives-5; Neutron Activation Analysis- 2; Physics- 6; Toxicology- 5	General Central Service Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level-7 (Rs. 44900-142400)	Selection post	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
1.Junior Scientific Officer (Ballistics):	Not applicable	Two years for	25 per cent by promotion.

Masters degree in Physics or Mathematics or Applied Mathematics or Forensic Science with Physics or Mathematics as one of the subjects during all the three years of bachelor of Science level from a recognised University. 2.Junior Scientific Officer (Biology): Masters degree in Botany or Zoology or Microbiology or Biotechnology or Biochemistry or Physical Anthropology or Genetics or Forensic Science with Botany or Zoology as one of the subjects during all the three years of bachelor of Science level from a recognised University; OR B.E. or B. Tech in Biotechnology from recognised University. 3.Junior Scientific Officer (Chemistry): Masters degree in Chemistry or Associateship diploma of the Institution of Chemist by examination* or Biochemistry or Forensic Science with Chemistry as one of the subjects during all the three years of Bachelor of Science level from a recognised University. 4.Junior Scientific Officer (Explosives): Masters degree in Chemistry or Associateship diploma of the Institution of Chemist by examination* or Forensic Science with Chemistry as one of the subjects during all the three years of bachelor of Science level from a recognised University. 5.Junior Scientific Officer (Neutron Activation Analysis): Masters degree in Chemistry or Associateship diploma of the Institution of Chemist by examination* or Physics or Forensic Science with Chemistry or Physics as one of the subjects during all the three years of bachelor of Science level from a recognised University. 6.Junior Scientific Officer (Physics): Masters degree in Physics or Applied Physics or Computer Science or Electronics or Forensic Science with Physics as one of the subjects during all the three years of bachelor of Science level from a recognised University; OR Bachelor of Engineering or B. Tech (Civil or Electrical or Mechanical or Electronics or Telecommunication or Computer Science or Instrumentation) or Computer Science and Engineering (CSE) or Electronics and Communication Engineering (ECE)or		direct recruits	75 percent by direct recruitment.

Information Technology or Electronics and Electrical Engineering (EEE) from recognised University. 7.Junior Scientific Officer (Toxicology): Masters degree in Chemistry or Associateship diploma of the Institution of Chemist by examination* or Biochemistry or Pharmacology or Pharmacy or Forensic Science with chemistry as one of the subjects during all the three years of Bachelors of Science Level from a recognised university. **Experience:** Three years experience in research and analytical work in the relevant field in any central and state organisation or recognised institute or university or forensic science laboratories under Central Government and State Government. **Note (i):** *Associateship diploma of the Institution of Chemist by examination qualification will be applicable only for the departmental scientists available on the date of notification of the RR.(amendment). **Note (ii):** The relevant discipline (s) in educational qualifications and areas in which research experience is required shall be specified according to the requirement at the time of recruitment. **Desirable Experience:** Experience of working in a forensic science laboratory.			

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion : Senior Scientific Assistant (Ballistics/ Biology/ Chemistry/ Explosives/ Neutron Activation Analysis/ Physics/ Toxicology), Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services with five years regular service in the Level-6 of the pay matrix(Rs. 35400-112400/-) rendered after appointment thereto on a regular basis and with successful completion of 2-4 weeks training in any recognised Forensic Institution or Organisation. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (1) Director, Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services - Chairman; (2) Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member; (3) Deputy Director, Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services - Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering**	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post by direct recruitment.

service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**confirmation) consisting of:-** (1) Director, Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services - Chairman; (2) Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member; (3) Deputy Director, Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services - Member.	

[F. No. DFSS/38(4)/2014]

NARENDER KUMAR, Under Secy.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 126.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2018 को जहां तक उनका सम्बन्ध सहायक के पद संख्या (3) से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के चेन्नई, देहरादून, नागपुर और रांची के एकीकृत प्रादेशिक कार्यालयों में समूह 'ख' सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत प्रादेशिक कार्यालय, चेन्नई, देहरादून, नागपुर और रांची के सहायक, (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता. — वह व्यक्ति,—**

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां व उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में, समय—समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक	08 (2021) स्वीकृत प्रादेशिक कार्यालयों में अवस्थित कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है :– चेन्नई–02, देहरादून–02, नागपुर–02, रांची–02.	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–6, (35400–112400 रू0).	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित षैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और षैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** –सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अन्तर्गत अल्प–कालिक संविदा भी है/आमेलन द्वारा और 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्प–कालिक संविदा भी है)/प्रोन्नति द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति गठित है तो उसकी संरचना।**	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति + प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प–कालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टरों के उपक्रमों या अर्ध–सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी: (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर–5, (29200–92300 रू0) या वर्तमान काडर या विभाग में समतुल्य, में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस	**समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:–** (1) अपर वन महानिदेशक (एफसी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, –अध्यक्ष; (2) उप–वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) संबंधित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय –सदस्य; (3) निदेशक/उपसचिव (प्रशासन), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय –सदस्य; (4) निदेशक या उपसचिव, क्षेत्रीय कार्यालय (मुख्यालय),पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,नई दिल्ली –सदस्य.	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर –4, (25500–81100 रू0) या वर्तमान काडर या विभाग में समतुल्य, में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो। **(ख): निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले:–** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; और (ii) स्थापना और प्रशासनिक मामलों में दो साल का अनुभव। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प–कालिक संविदा भी है)/आमेलन:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टरों के उपक्रमों या अर्ध–सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी: (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर–5, (29200–92300 रू0) या वर्तमान काडर या विभाग में समतुल्य, में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर –4, (25500–81100 रू0) या वर्तमान काडर या विभाग में समतुल्य, में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो। **(ख): निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले:–** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; और (ii) स्थापना और प्रशासनिक मामलों में दो साल का अनुभव। **टिप्पण–1.** – ऐसे विभागयीय उच्च श्रेणी लिपिक पर जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर–4 (25500–81100 रु.) की श्रेणी में 10 वर्ष की नियमित सेवा की है, भी बाहर वालों के साथ विचार किया जाएगा और उसके पद पर नियुक्ति के लिए चयन किए जाने की दशा में वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। **टिप्पण–2.** – प्रतिनियुक्ति की अवधि,		

केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति में ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं. 6–21/2010–आरओएचक्यू (भाग–I)]

अभिजीत रॉय, अवर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

New Delhi, the 25th October, 2021

G.S.R. 126.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Offices, Assistant (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2018, in so far as they relate to the post number (3) of Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of Group 'B' post of Assistant in the Integrated Regional Offices of Chennai, Dehradun, Nagpur and Ranchi of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely : -

1. **Short title and commencement. —** (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Chennai, Dehradun, Nagpur and Ranchi Integrated Regional Offices, Assistant, Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix. —**The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. —**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—** No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

   shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. —**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. —** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant	08* (2021) *Subject to variation	General Central Service, Group 'B', Non Gazetted,	Level-6, Rs. 35400-112400/- in the pay matrix	Selection post	Not applicable

	dependent on workload. Integrated Regional Office located at: Chennai-02, Dehradun-02, Nagpur-02, Ranchi-02.	Ministerial.			

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	50% By deputation including short term contract/ absorption and 50% by deputation including short term contract/promotion

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion plus deputation (including short term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or Universities or recognised Research Institutions: (a) (i) Holding analogous post on regular basis; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay level-5 (Rs. 29200-92300/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay level-4 (Rs. 25500-81100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the following educational qualification and experience: -	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee consisting of :-** 1. Additional Director General of Forests (FC), Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Chairman; 2. Deputy Inspector General of Forests (Central) of concerned Integrated Regional Office -Member; 3. Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Environment, Forests and Climate Change – Member; 4. Director or Deputy Secretary Regional Office (Head Quarters), New Delhi -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(i) Bachelors degree from a recognised University or Institute; and (ii) Two years experience in establishment and administrative matters. **Deputation (including short term contract) / absorption:** Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or Universities or recognised Research Institutions: (a) (i) Holding analogous post on regular basis; or (ii) with six years service in grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay level-5 (Rs. 29200-92300/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay level-4 (Rs. 25500-81100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the following educational qualification and experience: - (i) Bachelor's degree from a recognised University or Institute; and (ii) Two years experience in establishment and administrative matters. **Note 1:** The departmental Upper Division Clerk in level-4 (Rs. 25500-81100/-) in pay matrix with ten years of regular service in grade and having the educational qualification and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for		

appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 6-21/2010-ROHQ-Vol-I]

ABHIJIT ROY, Under Secy.

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 127.–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला नियंत्रक संगठन (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोयला नियंत्रक संगठन (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कोयला नियंत्रक संगठन (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1986 में, अनुसूची में, कोयला नियंत्रक के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 18/2/2021-स्थापना]

श्याम भगत नेगी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम संख्या सा.का.नि. 987, दिनांक 24 अक्टूबर, 1986 के माध्यम से भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात संख्या सा.का.नि. 16(अ), दिनांक 7 जनवरी, 2009 के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 21st October, 2021

G.S.R. 127.—In exercise of the powers conferred by the provisio to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Coal Controller's Organisation (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Coal Controller's Organisation (Group 'A' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coal Controller's Organisation (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1986, in the SCHEDULE, the serial number 1 relating to the post of Coal Controller and the entries relating thereto shall be omitted.

[F.No. 18/2/2021-Establishment]

SHYAM BHAGAT NEGI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 987, dated the 24th October, 1986 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 16(E), dated the 7th January, 2009.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.11.03 12:19:38 +05'30'